

बेबी रानी मौर्य

राज्यपाल एवं  
कुलाधिपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली  
उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी  
विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल



राजभवन  
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या— / जी0एस0 / C13-2 / शिक्षा / 2014

देहरादून : दिनांक : / 2 जुलाई, 2019

आदेश


एतद्वारा, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्वन्धी पूर्व आदेश संख्या-1136/जी0एस0/शिक्षा/C13-2/2019, दिनांक 03 जुलाई, 2019 को अतिक्रमित करते हुए अन्वेषण समिति की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-11 की उपधारा-1 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत डा0 अजीत कुमार कर्नाटक, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एन्टोमोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गो0व0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 3 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह0/-  
(बेबी रानी मौर्य)  
कुलाधिपति।

संख्या 1273 (1) / जी0एस0 / C13-2 / शिक्षा / 2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा0 तेज प्रताप, कुलपति, गो0व0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
5. डा0 अजीत कुमार कर्नाटक, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एन्टोमोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गो0व0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड।
6. कुलसचिव, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार।
7. कुलसचिव, गो0व0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
12/07/19  
(आर0के0 सुधांशु)  
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।